

प्रारंभिक परीक्षा

वृद्धावस्था में दुर्बलता के लिए स्टेम सेल थेरेपी

संदर्भ

- एक हालिया नैदानिक अध्ययन (Clinical Study) से पता चला है कि मेसेन्काइमल स्टेम सेल थेरेपी (Mesenchymal stem cell therapy) दुर्बलता से ग्रस्त वृद्ध लोगों में शारीरिक कार्यप्रणाली में सुधार कर सकती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दुर्बलता (जिसे पहले सामान्य वृद्धावस्था माना जाता था) जैविक रूप से उपचार योग्य हो सकती है।

दुर्बलता (Frailty) के बारे में

- **परिभाषा:** दुर्बलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक शक्ति, सहनशक्ति और ठीक होने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वृद्ध व्यक्ति तनाव (बीमारी, चोट) के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- **बहुआयामी प्रकृति:** संयुक्त प्रभावों (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मांसपेशियों की हानि, संवहनी उम्र बढ़ने (Vascular Ageing), प्रतिरक्षा शिथिलता, दीर्घकालिक तनाव) के कारण होती है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
 - कम गतिशीलता और थकान
 - गिरने और अस्पताल में भर्ती होने का उच्च जोखिम
 - बीमारी के बाद धीमी रिकवरी
- **व्यापकता:** वैश्विक स्तर पर 50 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 25% लोगों को प्रभावित करती है (वृद्ध होती जनसंख्या के साथ तीव्र वृद्धि की उम्मीद; 2050 तक भारत की वृद्ध आबादी ~20% होने का अनुमान है)।
- **नीतिगत अंतराल:** अक्सर कम निदान किया जाता है और मानक उपचार प्रोटोकॉल का अभाव होता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में।

मेसेन्काइमल स्टेम सेल (MSCs) के बारे में

- मेसेन्काइमल स्टेम सेल बहुशक्त (Multipotent) स्टेम सेल हैं जो अस्थि मज्जा (Bone marrow) और वसा ऊतकों (Adipose tissue) में पाए जाते हैं, और ये हड्डी, उपास्थि (Cartilage) और मांसपेशियों की कोशिकाओं में विभाजित होने में सक्षम हैं।
- **जैविक गुण:**
 - **पुनर्योजी क्षमता:** क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना।
 - **प्रतिरक्षा-मॉड्यूलेशन (Immunomodulation):** सूजन (Inflammation) को कम करना।
 - **पैराक्राइन सिग्नलिंग:** उपचार को बढ़ावा देने वाले बायोएक्टिव अणुओं को छोड़ना।
- **प्रतिरक्षा लाभ:** प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को तीव्रता से सक्रिय नहीं करते हैं (अस्वीकृति का कम जोखिम; इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं की न्यूनतम आवश्यकता)।
- **नैदानिक उपयोग:** पुनर्योजी चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोवैस्कुलर मरम्मत और उम्र से संबंधित स्थितियों में प्रयोगात्मक रूप से उपयोग किया जाता है।

यह दुर्बलता से कैसे निपटता है

- **सूजन (Inflammation) को कम करता है:** MSCs ऐसे अणुओं को छोड़ते हैं जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन (उम्र से संबंधित गिरावट का एक प्रमुख चालक) को कम करते हैं।
- **ऊतक मरम्मत को बढ़ावा देता है:** मांसपेशियों और संवहनी ऊतकों को पुनर्जीवित करने में मदद करता है, जिससे शक्ति और लचीलापन बढ़ता है।

- **शारीरिक प्रदर्शन में सुधार:** रोगियों ने चलने की क्षमता में सुधार दिखाया (उदाहरण के लिए, 6 मिनट के वॉक टेस्ट में ~60 मीटर अधिक) → जिसका अर्थ है कि वे थकान के बिना लंबी दूरी तक चल सकते थे, जो बेहतर सहनशक्ति और कार्यात्मक क्षमता का संकेत देता है।
- **रिकवरी को बढ़ाता है:** तनाव, बीमारी या चोट से उबरने की शरीर की क्षमता में सुधार करता है।
- **संवहनी कार्य (Vascular Function) में सुधार:** छोटी रक्त वाहिकाओं पर कार्य करता है, रक्त प्रवाह में सुधार करता है और उम्र से संबंधित क्षति को कम करता है।

इजराइल-लेबनान सीधी वार्ता

संदर्भ

- इजरायल और लेबनान ने दशकों में अपनी पहली प्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता आयोजित की, जिसकी मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई। यह वार्ता हिजबुल्लाह और व्यापक ईरान-इजरायल टकराव से जुड़े बढ़ते संघर्ष के बीच हुई।

वार्ता में भाग लेने वाले

- **संयुक्त राज्य अमेरिका (मध्यस्थ):** मार्को रुबियो के नेतृत्व में, संवाद की सुविधा प्रदान करना और हिजबुल्लाह के प्रभाव को कम करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दबाव डालना।
- **इजरायल:** राजनयिक अधिकारियों (जैसे, राजदूत येचिएल लीटर) द्वारा प्रतिनिधित्व, सुरक्षा चिंताओं और गैर-राज्य अभिकर्ताओं के निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
- **लेबनान:** सरकारी अधिकारियों (जैसे, राजदूत नाडा हमदेह मुआवाद) द्वारा प्रतिनिधित्व, युद्धविराम, मानवीय राहत और लेबनानी सशस्त्र बलों की संप्रभुता पर जोर देना।
- **विशेष रूप से अपवर्जित:** हिजबुल्लाह वार्ता का हिस्सा नहीं था, हालांकि यह जमीनी हकीकतों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बना हुआ है (वार्ता के दौरान निरंतर हमले)।

इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक मुद्दे

- **औपचारिक राजनयिक संबंधों का अभाव:** दोनों देश एक-दूसरे को राजनयिक रूप से मान्यता नहीं देते हैं, और इजरायल के निर्माण (1948) के बाद से शत्रुतापूर्ण संबंध बनाए हुए हैं।
- **बार-बार संघर्ष:**
 - 1982 लेबनान युद्ध: पीएलओ (PLO) की उपस्थिति को लक्षित करने वाला इजरायली आक्रमण।
 - 2006 युद्ध: इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बड़ा संघर्ष।
 - 2023-24 और 2026 संघर्ष: गाजा और ईरान संघर्षों से संबंधित।
- **हिजबुल्लाह कारक:** 1982 में ईरानी समर्थन से स्थापित, हिजबुल्लाह लेबनान में एक शक्तिशाली मिलिशिया और राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो दक्षिणी लेबनान पर हावी है और इजरायल के साथ संघर्ष में लगा हुआ है।
- **निरंतर तनाव:** ब्लू लाइन (संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीमांकित सीमा) के साथ और दक्षिणी लेबनान में इजरायली उपस्थिति को लेकर।
- **सुरक्षा क्षेत्र रणनीति:** इजरायल ने ऐतिहासिक रूप से सीमा पार हमलों को रोकने के लिए एक बफर/सुरक्षा क्षेत्र (लितानी नदी ~30 किमी तक) बनाए रखने का प्रयास किया है।

प्रमुख मांगें

मुद्दा	इजरायल की मांग	लेबनान की मांग
हिजबुल्लाह निरस्त्रीकरण	हिजबुल्लाह और अन्य गैर-राज्य सशस्त्र समूहों का पूर्ण निरस्त्रीकरण और	हिजबुल्लाह की सैन्य भूमिका में क्रमिक कमी और लेबनानी राज्य प्राधिकरण के तहत एकीकरण (दक्षिण लेबनान में)

	निष्कासन।	सशस्त्र बल एकमात्र सुरक्षा प्रदाता हों।
युद्धविराम	तत्काल युद्धविराम नहीं; इसे सुरक्षा गारंटी और हिजबुल्लाह निरस्त्रीकरण से जोड़ा गया है।	हताहतों को रोकने, मानवीय राहत और नागरिकों की वापसी को सक्षम करने के लिए तत्काल युद्धविराम की मांग।
सुरक्षा क्षेत्र	लितानी नदी (~30 किमी) तक बफर जोन स्थापित करना।	बफर जोन का विरोध; पूर्ण इजरायली वापसी और क्षेत्रीय संप्रभुता की बहाली की मांग।
सैन्य अभियान	खतरों के खिलाफ हमले और निगरानी करने की स्वतंत्रता बनाए रखना।	इजरायली हवाई हमलों, घुसपैठ और हवाई क्षेत्र/क्षेत्र के उल्लंघन को समाप्त करना।
सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय तंत्र	विसैन्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के साथ ब्लू लाइन पर निगरानी मजबूत करना।	यूनिफिल (UNIFIL) की भूमिका का विस्तार करना और दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सेना को तैनात करना (गैर-राज्य अभिकर्ताओं को बदलने और दीर्घकालिक सीमा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए)।

खाड़ी युद्ध में भारत-दक्षिण कोरिया के लिए रणनीतिक अवसर

संदर्भ

- चल रहे खाड़ी संघर्ष ने खाड़ी ऊर्जा और समुद्री मार्गों पर एशिया की गहरी निर्भरता को उजागर किया है, जो संरचनात्मक कमजोरियों को प्रदर्शित करता है लेकिन साथ ही भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए रणनीतिक सहयोग के अवसर भी खोलता है।

खाड़ी युद्ध के प्रति एशिया की संवेदनशीलता

- **उच्च ऊर्जा निर्भरता:** एशिया अपने कच्चे तेल का ~70% खाड़ी से आयात करता है (चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया अत्यधिक निर्भर हैं), जिससे यह आपूर्ति व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।
- **महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट:** होर्मुज जलडमरूमध्य (वैश्विक तेल व्यापार का ~20%) महत्वपूर्ण है; कोई भी व्यवधान एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीधा खतरा है।
- **सीमित विविधीकरण:** अमेरिका (ऊर्जा उत्पादक) और यूरोप (विविध स्रोत) के विपरीत, एशिया संरचनात्मक रूप से पश्चिम एशिया पर निर्भर है।
- **आर्थिक संवेदनशीलता:** औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं (जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत) विनिर्माण और विकास के लिए स्थिर ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर हैं, जिससे वे मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- **बाहरी सुरक्षा प्रदाता पर निर्भरता:** एशियाई देश समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति पर भरोसा करते हैं, जो बदलते अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के बीच रणनीतिक संवेदनशीलता पैदा करता है।
- **नौवहन की स्वतंत्रता को खतरा:** होर्मुज में पारगमन को नियंत्रित करने के ईरान के प्रयास UNCLOS मानदंडों को चुनौती देते हैं, जो सीधे एशियाई व्यापारिक हितों को प्रभावित करते हैं।

खाड़ी युद्ध भारत और दक्षिण कोरिया के लिए अवसर कैसे प्रस्तुत करता है

- **रणनीतिक अभिसरण:** ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर साझा चिंताएं भारत-दक्षिण कोरिया रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की गुंजाइश पैदा करती हैं।
- **समुद्री सुरक्षा सहयोग:** संयुक्त नौसैनिक समन्वय, सूचना साझाकरण, रसद समझौतों और समुद्री मार्ग सुरक्षा की क्षमता।
- **अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना:** एशियाई नेतृत्व वाले सुरक्षा ढांचों को प्रोत्साहित करता है, जिससे अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्व पर निर्भरता कम होती है।
- **रक्षा औद्योगिक सहयोग:** दक्षिण कोरिया की विशेषज्ञता (जहाज निर्माण, नौसैनिक प्लेटफार्म) भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण और बेड़े के विस्तार का समर्थन कर सकती है।

- ऊर्जा और बुनियादी ढांचा सहयोग: होर्मुज जैसे चोकपॉइंट्स को बायपास करने के लिए खाड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (पाइपलाइन, बंदरगाह, रसद गलियारों) में भागीदारी।
- परमाणु ऊर्जा सहयोग: दक्षिण कोरिया की उन्नत परमाणु तकनीक (SMRs) भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन कर सकती है।
- भू-आर्थिक अवसर: पश्चिम एशियाई आर्थिक परिवर्तन परियोजनाओं में संयुक्त जुड़ाव, जिससे व्यवधानों के प्रति दीर्घकालिक संवेदनशीलता कम हो सके।

भारत में फिल्म पायरेसी और कानूनी ढांचा

संदर्भ

- हाल ही में तमिल फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज से पहले लीक होने ने भारत में फिल्म पायरेसी की बढ़ती चुनौती को उजागर किया है।

फिल्म पायरेसी पर कानूनी ढांचा

कॉपीराइट अधिनियम, 1957:

- धारा 63: उल्लंघन पर अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और ₹2 लाख तक का जुर्माना (अनधिकृत कॉपी करना, साझा करना आदि शामिल)।
- धारा 63A: पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान, जो निवारक प्रभाव को सुदृढ़ करता है। सभी रचनात्मक कृतियों (फिल्में, संगीत, डिजिटल सामग्री) पर लागू।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (संशोधित 2023):

- सिनेमाघरों या डिजिटल माध्यम में फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रसारण को लक्षित करता है।
- फिल्म की उत्पादन लागत के 5% तक का भारी जुर्माना (बड़े बजट की फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण निवारक)।
- विशेष रूप से प्री-रिलीज और थिएट्रिकल पाइरेसी को संबोधित करता है, जिससे अधिकतम क्षति होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:

- डिजिटल अपराधों (अनधिकृत पहुंच, हैकिंग, डेटा चोरी) से संबंधित, जो ऑनलाइन पाइरेसी में प्रासंगिक हैं।
- प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और अवैध डिजिटल प्रसार के विरुद्ध कार्रवाई को सक्षम बनाता है।

न्यायिक तंत्र:

- जॉन डो आदेश (John Doe Orders): अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध पूर्व-निरोधात्मक आदेश, ताकि रिलीज से पहले पाइरेसी को रोका जा सके।
- डायनेमिक निषेधाज्ञाएँ (Dynamic Injunctions): अदालतों को नए उभरते पाइरेसी लिंक/वेबसाइट्स को निरंतर ब्लॉक करने की अनुमति देती हैं।

दायित्व का दायरा: कानून पूरे श्रृंखला को कवर करता है—मूल लीक करने वाला, वितरक, और यहां तक कि पायरेटेड लिंक साझा करने वाले व्यक्ति भी, जिससे जवाबदेही का विस्तार होता है।

फिल्म कैसे लीक होती है

- **आपूर्ति श्रृंखला में आंतरिक लीक:** उच्च गुणवत्ता वाले लीक अक्सर अधिकृत व्यक्तियों (संपादकों, पोस्ट-प्रोडक्शन टीमों, वितरकों, ओटीटी संचालकों) से उत्पन्न होते हैं जहां लापरवाही या जानबूझकर साझा करने से अनधिकृत प्रसार होता है।
- **रिलीज-पूर्व एक्सेस पॉइंट:** फिल्में सेंसरशिप, वितरण और प्रिव्यू स्क्रीनिंग के लिए आंतरिक रूप से प्रसारित होती हैं, जिससे डेटा उल्लंघन के लिए कई संवेदनशील बिंदु बन जाते हैं।
- **डिजिटल निष्कर्षण (DRM बाईपास):** ओटीटी या डिजिटल सिस्टम पर उपलब्ध होने के बाद, पायरेट्स लगभग-मूल गुणवत्ता वाली वीडियो फाइलें निकालने के लिए डिजिटल अधिकार प्रबंधन (DRM) सुरक्षा को बायपास करते हैं।

- **थिएट्रिकल कॉपी लीकेज:** हालांकि थिएटर एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव और प्रोजेक्शन सिस्टम का उपयोग करते हैं, फिर भी सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौता होने पर लीक हो सकते हैं।
- **त्वरित ऑनलाइन प्रसार:** सामग्री टॉरेंट्स, क्लाउड स्टोरेज लिंक और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप (टेलीग्राम) के माध्यम से फैलती है, जिससे कुछ ही घंटों में बड़े पैमाने पर प्रसार संभव हो जाता है।

यदि फिल्म लीक हो जाती है तो क्या होता है

- **अपरिवर्तनीय डिजिटल प्रसार:** एक बार लीक होने के बाद, मिरर वेबसाइटों, टॉरेंट्स और निजी साझाकरण नेटवर्क के कारण सामग्री को पूरी तरह से हटाना मुश्किल हो जाता है।
- **कानूनी कार्रवाई की शुरुआत:** अधिकारी संदिग्धों (मूल लीकर और लिंक साझा करने वालों सहित) को गिरफ्तार कर सकते हैं और आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
- **हटाने और ब्लॉक करने के उपाय:** स्टूडियो एंटी-पायरेसी एजेंसियों को तैनात करते हैं और पायरेसी लिंक को ब्लॉक करने के लिए अदालत द्वारा जारी गतिशील व्यादेश (Dynamic Injunctions) की मांग करते हैं।
- **फॉरेंसिक ट्रैकिंग:** वॉटरमार्किंग तकनीक लीक के स्रोत की पहचान करने में मदद करती है, विशेष रूप से शुरुआती वितरण चरणों में।

अमेरिका और ईरान के बीच तीन अहम मुद्दे

संदर्भ

- हालिया अमेरिका-ईरान वार्ताओं की विफलता के बावजूद, तीन मुख्य मुद्दों—परमाणु (HEU), समुद्री (हॉर्मुज़), और क्षेत्रीय संघर्ष—पर एक व्यावहारिक समझौते की संभावना बनी हुई है, जिसमें दोनों पक्षों को विश्वसनीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है।

तीन महत्वपूर्ण मुद्दे

1. ईरान का उच्च संवर्धित यूरेनियम (HEU) – संभावित समाधान

विकल्प	व्यवहार्यता	प्रमुख मुद्दे / व्याख्या
शासन परिवर्तन / विजय	अत्यंत कम	पूर्ण पैमाने पर युद्ध और अधिग्रहण की आवश्यकता (उच्च लागत, वैश्विक अस्थिरता, राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य)
HEU ज्वल करने हेतु सैन्य अभियान (~400 किग्रा; ≈ 10-12 बम क्षमता)	कम	HEU कई सुदृढ़ स्थलों में वितरित होने की संभावना; बड़े पैमाने के अभियान की आवश्यकता, विफलता का उच्च जोखिम
दबाव + सीमित समझौते	मध्यम	प्रतिबंध/सैन्य दबाव रियायतें दिला सकते हैं, पर पूर्ण रूप से परमाणु जोखिम समाप्त करना कठिन
ईरान द्वारा स्वैच्छिक हस्तांतरण (सुरक्षात्मक उपायों सहित)	उच्च	प्रोत्साहनों (प्रतिबंध हटाना, आर्थिक पुनर्निर्माण सहायता) के साथ सबसे व्यावहारिक

जबकि दबाव आधारित विकल्पों में उच्च सैन्य और राजनीतिक लागत है, एक स्थायी समाधान के लिए ईरान के स्वैच्छिक सहयोग की आवश्यकता है, जो दीर्घकालिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विश्वसनीय सत्यापन तंत्र पर निर्भर करता है।

स्वैच्छिक हस्तांतरण के अंतर्गत तंत्र

तंत्र	व्याख्या
IAEA सुरक्षा मॉडल	अंतरराष्ट्रीय निगरानी संवर्धन सीमा ($\leq 3.67\%$) सुनिश्चित करती है; वैश्विक वैधता बढ़ाता है, परंतु पिछले अनुपालन को लेकर अमेरिकी विश्वास की कमी
द्विपक्षीय अमेरिका-ईरान तंत्र	संयुक्त निरीक्षण और निगरानी; अमेरिकी विश्वास बढ़ाता है, पर ईरान की संप्रभुता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं

2. होर्मुज जलडमरूमध्य समस्या

पहलू	विवरण
मुख्य मुद्दा	ईरान द्वारा हॉर्मुज का सैन्यीकरण ($\approx 20\%$ वैश्विक तेल प्रवाह) दबाव बनाने और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण हेतु संसाधन जुटाने के लिए
अमेरिकी प्रस्ताव	सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त तंत्र (संभवतः राजस्व-साझाकरण व्यवस्था सहित)
मुख्य बाधा	जहाजों पर शुल्क लगाना UNCLOS के अंतर्गत नौवहन की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और वैश्विक स्तर पर समान दावों को प्रेरित कर सकता है
समाधान मार्ग	प्रतिबंध हटाना + जमे हुए परिसंपत्तियों की रिहाई, ताकि आर्थिक रूप से ईरान को क्षतिपूर्ति मिल सके
परिणाम तर्क	आर्थिक दबाव कम होने पर, ईरान के पास जलडमरूमध्य को हथियार बनाने की प्रेरणा कम होगी

3. इजराइल-लेबनान संघर्ष (हिज्बुल्लाह कारक)

पहलू	विवरण
मुख्य मुद्दा	इजराइल और हिज्बुल्लाह (ईरान समर्थित सशस्त्र समूह) के बीच संघर्ष
इजराइली स्थिति	मिसाइल और ड्रोन खतरे को समाप्त करने हेतु हिज्बुल्लाह का निरस्त्रीकरण
लेबनानी बाधा	हिज्बुल्लाह का गहरा राजनीतिक एकीकरण राज्य की प्रवर्तन क्षमता को सीमित करता है
समाधान मार्ग	अमेरिका और ईरान द्वारा अपने-अपने सहयोगियों पर दबाव डालकर वार्ता की मेज पर लाना
संभावित परिणाम	युद्धविराम + व्यापक क्षेत्रीय समझौते के अंतर्गत चरणबद्ध निरस्त्रीकरण

ये तीनों मुद्दे परस्पर जुड़े हुए हैं (परमाणु क्षमता, समुद्री दबाव, और क्षेत्रीय प्रतिनिधि संघर्ष) और इन्हें अलग-अलग हल नहीं किया जा सकता। सैन्य विकल्प अधिकांशतः अव्यावहारिक हैं, जबकि समन्वित कूटनीति (प्रतिबंध राहत, सत्यापन तंत्र, और क्षेत्रीय वार्ताएँ) एक स्थायी समाधान की दिशा में सबसे व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है।

मतदान का अधिकार बनाम चुनाव लड़ने का अधिकार

संदर्भ

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहा विवाद देशव्यापी बहस का विषय बन गया है। इस मुद्दे ने मतदान के अधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार के बीच अंतर तथा चुनावी निष्पक्षता संबंधी चिंताओं को उजागर किया है।

विवाद के कारण

- पात्र मतदाताओं सहित बड़े पैमाने पर नामों को हटाए जाने के आरोप।
- दस्तावेजों की कमी वाले वंचित वर्गों के मताधिकार से वंचित होने की आशंका।
- न्यायिक हस्तक्षेप, जिसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर प्रश्न उठाए गए हैं।

मतदान का अधिकार बनाम चुनाव लड़ने का अधिकार

अधिकार	मतदान का अधिकार	चुनाव लड़ने का अधिकार
परिचय	<ul style="list-style-type: none"> ● लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक संविधिक अधिकार (Statutory right)। ● पात्रता के अधीन 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध। ● लोकतांत्रिक भागीदारी की नींव बनाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● एक संविधिक अधिकार, लेकिन अधिक सख्त शर्तों के साथ। ● आवश्यकताएं: <ul style="list-style-type: none"> ○ पात्रता मानदंडों को पूरा करना ○ नामांकन प्रक्रियाओं का अनुपालन

	<ul style="list-style-type: none"> ● इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान लोकतांत्रिक वैधता को सीधे प्रभावित करता है। ● अनुच्छेद 326: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ○ अयोग्यता का अभाव ● मतदान की तुलना में अधिक विनियमित और प्रतिबंधात्मक।
समानताएँ	<ul style="list-style-type: none"> ● मतदान सार्वभौमिक और समावेशी है, जबकि चुनाव लड़ना चयनात्मक है। ● निर्वाचक नामावलियों में त्रुटियाँ (SIR के कारण) अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उम्मीदवार प्रभावित होते हैं। 	
SIR का प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> ● मताधिकार से वंचन: नामावलियों से बाहर किया जाना सीधे तौर पर नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करता है। ● असमान प्रभाव: संवेदनशील समूह असमान रूप से प्रभावित होते हैं: <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रवासी ○ ग्रामीण गरीब ○ बुजुर्ग ● घटता विश्वास: बार-बार होने वाले विवाद चुनावी प्रणाली में विश्वास कम कर सकते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ● बदलती चुनावी गतिशीलता: परिवर्तित मतदाता सूचियां चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। ● प्रतिनिधित्व में कमी: समूहों का अपवर्जन जनता की वास्तविक इच्छा को विकृत कर सकता है। ● राजनीतिक तनाव: इससे पक्षपात के आरोप और धुवीकरण बढ़ सकता है।

परिसीमन और महिला आरक्षण

संदर्भ

केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए **संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026** सहित तीन प्रमुख विधेयक पेश किए हैं।

पेश किए गए तीन प्रमुख विधेयक

- **संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026:** लोकसभा के विस्तार का प्रस्ताव करता है और अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन चाहता है।
- **परिसीमन विधेयक, 2026:** परिसीमन आयोग के लिए एक संशोधित ढांचा स्थापित करता है।
- **तीसरा विधेयक:** राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है।

प्रमुख प्रावधान

1. लोकसभा का विस्तार: सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करना।

- राज्यों के लिए 815 सीटों तक।
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 35 सीटें।
- प्रतिनिधित्व में ~50% की वृद्धि को दर्शाता है।
- नए संसद भवन की क्षमता के अनुरूप है।
- इसके परिणामस्वरूप भौगोलिक रूप से छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने की संभावना है।

2. महिला आरक्षण (लक्ष्य: 2029 चुनाव)

- हालांकि 33% आरक्षण को पहले संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन जनगणना के बाद परिसीमन पर निर्भर था।
- 2021 की जनगणना में देरी के कारण, सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है।
- इसका उद्देश्य 2029 के आम चुनाव से आरक्षण लागू करना है।

3. "जनसंख्या" की पुनर्व्याख्या (अनुच्छेद 81)

- "अंतिम जनगणना" के उपयोग से हटकर संसद द्वारा कानून के माध्यम से चुनी गई किसी भी जनगणना के उपयोग की ओर बदलाव।
- परिसीमन के आधार का निर्णय लेने में संसद को लचीलापन प्रदान करता है।

उत्तर-दक्षिण विभाजन: एक प्रमुख चिंता का विषय

- दक्षिणी राज्यों (जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक) ने प्रभावी परिवार नियोजन के कारण कम जनसंख्या वृद्धि प्राप्त की है।
- शुद्ध जनसंख्या-आधारित सीट आवंटन उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों की तुलना में उनके प्रतिनिधित्व को कम कर सकता है।
- क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए 1976 में परिसीमन को रोक दिया गया था और 2001 में इसे 2026 के बाद तक बढ़ा दिया गया था।

परिसीमन में संरचनात्मक परिवर्तन

1. अनुच्छेद 82 में संशोधन

- इसका नाम "प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन" से बदलकर "निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन" कर दिया गया है।
- परिसीमन और दशकीय जनगणना चक्रों के बीच अनिवार्य संबंध को समाप्त करता है।

2. निचला निर्णय मानदंड (Lower Decision Threshold)

- पहले, परिसीमन को स्थगित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती थी।
- अब, निर्णय साधारण बहुमत द्वारा लिए जा सकते हैं, जिससे राजनीतिक विवेक बढ़ जाता है।

3. नया परिसीमन आयोग

- निम्नलिखित के आधार पर कार्य करेगा:
 - नवीनतम जनगणना के आंकड़े
 - प्रशासनिक सीमाएं
 - भौतिक विशेषताएं और सार्वजनिक सुविधा
- हालांकि, राज्यों में सीटों के वितरण के लिए कोई स्पष्ट सूत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

प्रमुख चुनौतियां

- **संवैधानिक तनाव:** क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बनाए रखने के साथ "एक व्यक्ति, एक वोट" को संतुलित करना।
- **कमजोर सुरक्षा उपाय:** कम संवैधानिक जांच परिसीमन के राजनीतिक दुरुपयोग की अनुमति दे सकती है।
- **जनगणना में देरी:** पुराने आंकड़ों (2011 की जनगणना) पर निर्भरता एक अस्थायी समाधान है।
- **महिला आरक्षण के लिए अनिश्चित समयसीमा:** कार्यान्वयन परिसीमन के समय पर पूरा होने पर निर्भर करता है।

आगे की राह

- **स्पष्ट सीट आवंटन फॉर्मूले को परिभाषित करना:** संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
- **परिसीमन आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करना:** विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और स्वायत्तता प्रदान करना।
- **सुरक्षा उपायों को फिर से लागू करना:** सुनिश्चित करना कि राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन में आसानी से हेरफेर नहीं किया जा सकता है।
- **जनगणना प्रक्रिया में तेजी लाना:** उचित प्रतिनिधित्व के लिए समय पर और अद्यतन जनसंख्या डेटा महत्वपूर्ण है।

UPI के 10 वर्ष पूरे

संदर्भ

- UPI ने 2016 में अपने लॉन्च के बाद से अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
- नेटवर्क: इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसमें भाग लेने वाले बैंकों की संख्या 2021 में 216 से बढ़कर 2026 तक 691 हो गई है।
- वैश्विक उपस्थिति: UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर सहित आठ से अधिक देशों में लाइव है।
- वित्तीय समावेशन: UPI ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाली, आसान डिजिटल भुगतान पहुंच प्रदान करके समावेशन को बढ़ाया है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

- **UPI एक वास्तविक समय (real-time) की डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल बैंक-टू-बैंक हस्तांतरण को सक्षम बनाती है।**
- **नियामक:** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित।
- **अंतर-संकार्यता (Interoperability):** UPI एकल इंटरफेस (UPI ID) का उपयोग करके कई बैंकों और ऐप्स में निर्बाध लेनदेन की अनुमति देता है।
- **प्रमुख विशेषताएं:** तत्काल भुगतान, 24x7 उपलब्धता, QR कोड भुगतान, और पीयर-टू-पीयर (P2P) तथा पीयर-टू-मर्चेन्ट (P2M) लेनदेन का समर्थन करता है।
- **सुरक्षा ढांचा:** सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए द्वि-कारक प्रमाणीकरण (two-factor authentication) और सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।

तथ्य (Factsheet)

- **लेनदेन की मात्रा (Volume):** UPI ने जनवरी 2026 में 21.70 बिलियन लेनदेन दर्ज किए।
- **लेनदेन का मूल्य (Value):** जनवरी 2026 में कुल मूल्य ₹28.33 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
- **खुदरा हिस्सेदारी:** भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 81% है।
- **वैश्विक हिस्सेदारी:** भारत UPI के माध्यम से वैश्विक वास्तविक समय भुगतान लेनदेन में 49% का योगदान देता है।
- **वैश्विक रैंकिंग:** IMF द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

- **NPCI की स्थापना 2008 में खुदरा भुगतान प्रणालियों को समेकित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) के तहत एक 'लाभ के लिए नहीं' (not-for-profit) संस्था के रूप में की गई थी।**
- **नियामक निरीक्षण:** NPCI भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की देखरेख और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।
- **प्रमुख उत्पाद:** NPCI ने UPI, RuPay, IMPS, AePS, FASTag और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) सहित प्रमुख भुगतान प्रणालियां विकसित की हैं।

मुख्य परीक्षा

औद्योगिक क्षेत्रों (नोएडा, मानेसर और एनसीआर क्षेत्र) में न्यूनतम मजदूरी संकट

संदर्भ

नोएडा में हजारों फैक्ट्री श्रमिकों ने निम्नलिखित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया:

- न्यूनतम वेतन में वृद्धि
- बेहतर कार्य परिस्थितियाँ
- ओवरटाइम वेतन

कई मामलों में ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जो श्रमिकों में बढ़ती निराशा को दर्शाता है।

तात्कालिक कारण:

- हरियाणा में (मानेसर में विरोध के बाद) न्यूनतम वेतन में 35% वृद्धि ने नोएडा जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के श्रमिकों को समान संशोधन की मांग करने के लिए प्रेरित किया।
- ये विरोध वैश्विक कारकों (जैसे पश्चिम एशिया संघर्ष) से जुड़ी मुद्रास्फीति के बीच बढ़ती जीवन-यापन लागत के कारण उत्पन्न हो रहे संकट को दर्शाते हैं।
- श्रमिकों का तर्क है कि वेतन जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं बढ़ा है।

न्यूनतम वेतन संशोधन में देरी

- न्यूनतम वेतन के दो घटक होते हैं:
 - आधार वेतन
 - वेतन का स्थिर घटक।
 - आदर्श रूप से हर 5 वर्ष में संशोधित किया जाना चाहिए।
 - महंगाई भत्ता (DA)
 - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (CPI-IW) से जुड़ा होता है।
 - मुद्रास्फीति में बदलाव को दर्शाने के लिए वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है।

विलंबित संशोधन का मुद्दा

आधार वेतन संशोधन में काफी देरी हुई है:

- हरियाणा ने 10 वर्षों बाद वेतन संशोधित किया।
- उत्तर प्रदेश ने अंतिम बार 2012 में संशोधन किया, केवल अंतरिम वृद्धि पर निर्भर रहा।
- यद्यपि कई राज्यों ने अर्धवार्षिक DA संशोधन किए, वे आधार वेतन को संशोधित करने में विफल रहे।
- कोविड-19 के बाद देरी और अधिक स्पष्ट हो गई, जिससे स्थिति और खराब हुई।
- इससे मुद्रास्फीति-प्रेरित व्यय और स्थिर आधार वेतन के बीच बढ़ती खाई उत्पन्न हुई है, जो भारत की वेतन नीति और श्रम कल्याण प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करती है।

बढ़ती जीवन-यापन लागत और श्रमिक संकट

मुद्रास्फीति रुझान (CPI-IW डेटा, आधार वर्ष 2016)

- राष्ट्रीय मुद्रास्फीति (फरवरी 2021 – फरवरी 2026): 24.8%
- प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक मुद्रास्फीति:
 - गुरुग्राम: 27.9%
 - फरीदाबाद: 27.2%

- गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली: 27.4%
- **वेतन वृद्धि बनाम मुद्रास्फीति**
 - हरियाणा: वेतन वृद्धि केवल 15%
 - उत्तर प्रदेश: 24.6%
 - दिल्ली: 20.6%

यह असंगति दर्शाती है कि विशेषकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में श्रमिकों की वास्तविक आय में गिरावट आई है।

औद्योगिक और वैश्विक दबाव

निम्नलिखित कारणों से इनपुट लागत में वृद्धि:

- अमेरिकी शुल्क (US tariffs)
- हॉर्मुज जलडमरूमध्य संकट जैसी व्यवधान
- उद्योगों पर प्रभाव:
 - वेतन भुगतान में देरी
 - रोजगार असुरक्षा में वृद्धि

श्रमिकों के लिए बढ़ता घरेलू खर्च

- श्रमिक, जिनमें से कई प्रवासी हैं, बढ़ते वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं:
 - काले बाजार में LPG सिलेंडर की कीमत ₹4,000 तक
 - कमरे का किराया बढ़ना
 - खाद्य कीमतों में वृद्धि, इन बढ़ते व्ययों ने श्रमिकों के वित्तीय बोझ को काफी बढ़ा दिया है।
- निम्न कारकों के संयुक्त प्रभाव ने:
 - मुद्रास्फीति
 - वेतन स्थिरता
 - और औद्योगिक मंदी, आर्थिक तनाव को तीव्र किया है जिससे विरोध और श्रम अशांति उत्पन्न हुई है।

श्रम संहिता और श्रमिक अपेक्षाएँ

- अधिसूचना के बाद अपेक्षाएँ (नवंबर 2025)
- नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद श्रमिकों को उच्च और समान वेतन की अपेक्षा थी।
- व्यापक धारणा थी कि न्यूनतम वेतन ₹20,000 प्रति माह तक बढ़ जाएगा।

श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में अनिश्चितता

नवंबर 2025 में चार श्रम संहिताएँ लागू हुईं:

- वेतन संहिता (Code on Wages)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)
- औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ (OSH) संहिता
 - तथापि:
 - केंद्र एवं राज्यों द्वारा अंतिम नियम अभी अधिसूचित नहीं किए गए हैं
 - दिसंबर 2025 में जारी मसौदा नियमों ने अनिश्चितता उत्पन्न की

विशेषज्ञों और श्रमिकों द्वारा उठाई गई चिंताएँ

शोषण का खतरा

- सुरक्षा उपायों के बिना लचीलापन निम्न स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है:

- अधिक कार्य घंटे
- समुचित वेतन के बिना कार्यभार में वृद्धि

राज्यों में एकरूपता का अभाव

- राज्य अपने-अपने नियम बनाते हैं:
 - वेतन में क्षेत्रीय असमानताएँ
 - कार्य परिस्थितियों में भिन्नताएँ
 - श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए भ्रम उत्पन्न होता है

सामूहिक सौदेबाजी का कमजोर होना

- ट्रेड यूनियन की मान्यता मुख्यतः राज्यों पर निर्भर
- सामूहिक सौदेबाजी के लिए कोई एकरूप प्रणाली नहीं
- श्रमिकों की वार्ताकीय शक्ति में कमी

निष्कर्ष

नोएडा और मानेसर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत की श्रम प्रणाली में मौजूद गहरी संरचनात्मक समस्याओं को उजागर किया है:

- वेतन संशोधन में देरी
- बढ़ती मुद्रास्फीति
- नीतिगत अनिश्चितता
- निम्न कारकों के बीच का अंतर:
 - जीवन यापन की बढ़ती लागत
 - स्थिर वेतन

आगे की राह

- आधार वेतन का समयबद्ध संशोधन सुनिश्चित करना
- श्रम संहिताओं का स्पष्ट और एकरूप क्रियान्वयन
- शोषण के विरुद्ध सशक्त सुरक्षा उपाय लागू करना
- वेतन को मुद्रास्फीति रुझानों के साथ अधिक प्रभावी रूप से समन्वित करना।

भारत में भोजन की बर्बादी

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस (30 मार्च) भोजन की बर्बादी की बढ़ती चिंता पर प्रकाश डालता है। यह बड़े पैमाने पर खाद्य हानि और भुखमरी एवं कुपोषण के सह-अस्तित्व जैसे विरोधाभास को दर्शाता है।

भोजन की बर्बादी और भोजन की हानि

- **भोजन की बर्बादी:** घरों, रेस्तरां और खाद्य सेवाओं सहित खुदरा और उपभोग चरणों में फेंके जाने वाले खाद्य और गैर-खाद्य दोनों खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है (यूएनईपी भोजन की बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट, 2024)।
- **भोजन की हानि:** आपूर्ति श्रृंखला के शुरुआती चरणों में होता है, जैसे कि कटाई, भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन, भोजन के उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले।

भोजन की बर्बादी पर डेटा

- **वैश्विक भोजन की बर्बादी:** UNEP भोजन की बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार, हर साल विश्व स्तर पर लगभग 1.05 बिलियन टन भोजन फेंका जाता है। परिवारों की हिस्सेदारी 60% है, इसके बाद खाद्य सेवाएं (28%) और खुदरा (12%) हैं।

- यह व्यापक बर्बादी आपूर्ति श्रृंखलाओं, नीतिगत कमियों और उपभोग की आदतों में अक्षमताओं को दर्शाती है।
- साथ ही, लगभग 783 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं, और 3.1 बिलियन से अधिक व्यक्ति पौष्टिक आहार का खर्च नहीं उठा सकते हैं, जो एक गहरे नैतिक और प्रणालीगत असंतुलन को उजागर करता है।
- **भारत का विरोधाभास:** भारत वैश्विक स्तर पर भोजन की बर्बादी में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो सालाना लगभग 78-80 मिलियन टन खो रहा है, जिसका मूल्य लगभग ₹1.55 लाख करोड़ है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
 - हालांकि भारत का प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी (55 किग्रा/वर्ष) अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की तुलना में कम है, लेकिन देश वैश्विक भूख सूचकांक में 111 वें स्थान पर है, जिसमें लगभग 194 मिलियन कुपोषित लोग हैं।
 - यह स्पष्ट विरोधाभास भोजन की उपलब्धता और पहुंच के बीच के अंतर को उजागर करता है।
- **पंजाब केस स्टडी:** पंजाब, एक प्रमुख कृषि केंद्र, अधिशेष भोजन का उत्पादन करता है, लेकिन जलवायु तनाव और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण फसल कटाई के बाद महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करता है।
 - लगभग 20% फल और सब्जियां कटाई के बाद नष्ट हो जाती हैं
 - 2019-2024 के बीच एफसीआई भंडारण में 8,200 टन से अधिक खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो गया, जो देश में सबसे अधिक है
 - प्रमुख चुनौतियों में अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं, खराब कोल्ड-चेन सिस्टम, सीमित मशीनीकरण और अकुशल पैकेजिंग और प्रेडिंग शामिल हैं, जैसा कि नीति आयोग द्वारा बताया गया है।

भारत में भोजन की बर्बादी के कारण

- **अधिक खरीदारी:** लगभग 67% शहरी परिवार उचित भोजन योजना की कमी के कारण भोजन बर्बाद कर देते हैं।
- **अपर्याप्त भंडारण:** अपर्याप्त भंडारण और कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण लगभग 40% खाद्य उत्पादन नष्ट हो जाता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाएं:** शादियों जैसे आयोजनों में अक्सर अधिक तैयारी के कारण 10-20% भोजन बर्बाद हो जाता है।
- **कमजोर आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचा:** अक्षमताओं के परिणामस्वरूप सालाना ₹92,651 करोड़ का नुकसान होता है।
- **खाद्य पदार्थों की खराब होने की क्षमता:** लगभग 16% फल और सब्जियां कम शेल्फ लाइफ और खराब हैंडलिंग के कारण बर्बाद हो जाती हैं।
- **खुदरा और आतिथ्य क्षेत्र:** खाद्य सेवा उद्योग हर साल लगभग 22 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करता है।

भोजन की बर्बादी के निहितार्थ

- **पर्यावरणीय प्रभाव:** वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 8-10% का योगदान देता है, मुख्य रूप से भोजन के विघटित होने से मीथेन के कारण।
- **आर्थिक नुकसान:** लगभग ₹1.52 लाख करोड़ का वार्षिक नुकसान, कृषि उत्पादकता और आय को प्रभावित करता है।
- **खाद्य असुरक्षा:** बड़ी बर्बादी के बावजूद, भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन भूख का सामना कर रहे हैं।
- **सामाजिक असमानता:** शहरी भोजन की अधिकता ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण और कमी के विपरीत है।
- **संसाधन की कमी:** बर्बादी से खाद्य उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पानी, भूमि और ऊर्जा जैसे मूल्यवान इनपुट का नुकसान होता है।
- **सतत विकास पर प्रभाव:** प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है:
 - एसडीजी 2 (जीरो हंगर)
 - एसडीजी 12.3 (भोजन की बर्बादी को कम करना)

सरकार की पहल

- **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY):** फसलोत्तर हानि को कम करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज को प्रोत्साहित करती है।
- **एकीकृत कोल्ड चेन योजना:** खेत से बाजार तक कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क को सुदृढ़ करती है।

- **ग्रामीण गोदाम योजना:** ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता को बढ़ाती है।
- **सेव फूड, शेयर फूड पहल:** एनजीओ के माध्यम से अधिशेष खाद्य के पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करती है।
- **इंडियन फूड शेयरिंग एलायंस (IFSA):** फूड बैंकों के साथ साझेदारी के माध्यम से खाद्य पुनर्प्राप्ति और वितरण को सुगम बनाता है।
- **मिड-डे मील योजना एवं पोषण अभियान:** कुपोषण से निपटने हेतु खाद्य के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।
- **उपभोक्ता जागरूकता अभियान:** 'जैविक भारत' जैसे अभियान जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देते हैं।
- **खाद्य दान दिशा-निर्देश:** अधिशेष खाद्य के सुरक्षित और वैधानिक पुनर्वितरण हेतु ढांचा प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

भारत में भोजन की बर्बादी प्रणालीगत अक्षमताओं और व्यवहार संबंधी मुद्दों को दर्शाता है। इसे संबोधित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, नीति समर्थन और जिम्मेदार उपभोग प्रथाओं की आवश्यकता है।

